बिहार सरकार
सामान्य प्रशासन विभाग
।। अधिसूचना ।।

पटना, दिनांक– 15.9.25

संख्या–18/प्र0सु0मि0–04–06/2025-17373/राज्य सरकार द्वारा सुशासन कार्यक्रम अंतर्गत लगातार पारदर्शिता के साथ प्रशासनिक सुधार, क्षमतावर्द्धन, नवाचार आदि का कार्य किया जा रहा है। उक्त क्रम में नीति निर्धारण एवं प्रशासन के विभिन्न स्तर पर निर्णय लेने वाले प्राधिकार तथा सरकार की नीतियों एवं निर्णयों को लागू करने वाले पदाधिकारियों के साथ युवा विषय–विशेषज्ञों को उनके विशेषज्ञता एवं अनुभव को दृष्टिपथ रखकर संबद्ध करने से प्रतिभाशाली युवाओं का लोक नीति के निर्माण का क्रियान्वयन संबंधी साक्ष्य आधारित क्षमतावर्द्धन होगा तथा युवाओं की भागीदारी से सरकार की नीतियों एवं योजनाओं के क्रियान्वयन को नई ऊर्जा एवं गति प्रदान होगी।

2. उपरोक्त परिपेक्ष्य में मुख्यमंत्री फेलोशिप योजना की स्वीकृति दी जाती है। इस दो वर्षीय योजना पर कुल अनुमानित व्यय रु0 31,85,88,900/– (इक्तीस करोड़ पचासी लाख अठासी हजार नौ सौ) मात्र है, जो सामान्य प्रशासन विभाग के बजटीय उपबंध के अन्तर्गत होगा।

3. मुख्यमंत्री फेलोशिप योजना का उद्देश्य प्रशासन के विभिन्न स्तरों पर दो वर्ष की अवधि हेतु उच्च गुणवत्ता वाले अनुभवी विषय–विशेषज्ञों को संबद्ध करना है। ये विषय–विशेषज्ञ जिला, प्रमण्डल, विभाग तथा राज्य स्तरीय प्रमुख कार्यालयों में नीति निर्धारण तथा राज्य हित की योजनाओं के क्रियान्वयन, नवाचार आदि में निर्णयकर्त्ता का सहयोग करेंगे तथा उक्त क्रम में उत्प्रेरक के रूप में कार्य करते हुए बिहार के विकास को गति देंगे।

4. उक्त योजना की मुख्य विशेषताएँ निम्न प्रकार है :–

(i) इस योजना का क्रियान्वयन सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा आई0आई0एम0, बोधगया के सहयोग से किया जायेगा।

(ii) फेलोशिप की अवधि 2 वर्ष की होगी, जिसके दौरान चयनित फेलोज को निर्धारित मासिक मानदेय की राशि का भुगतान किया जायेगा।

(iii) दो वर्ष की अवधि के सफलतापूर्वक समापन पर आई0आई0एम0, बोधगया द्वारा लोक नीति एवं सुशासन का प्रमाण–पत्र दिया जायेगा।

(iv) यह योजना बिहार के मूल निवासी के लिए होगी।

(v) अलग–अलग स्तर एवं अनुभव के विषय–विशेषज्ञों की अधिकतम उम्र सीमा का निर्धारण सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा निर्गत संकल्प/आदेश के आलोक में किया जायेगा। राज्य सरकार के प्रचलित आरक्षण नियम लागू होंगे।

(vi) कुल 121 फेलोज का चयन आई0आई0एम0, बोधगया के सहयोग से किया जायेगा तथा उनकी संबद्धता प्रत्येक नगर निगम, जिला समाहरणालय, प्रमण्डलीय आयुक्त कार्यालय, सचिवालय के सभी विभाग, विकास आयुक्त, मुख्य सचिव, उप मुख्यमंत्री के कार्यालय एवं मुख्यमंत्री सचिवालय में की जाएगी। इसकी विस्तृत विवरण निम्न प्रकार है :–

संबद्धता स्तर	फेलोज/ कार्यालय	कुल फेलोज	मानदेय (₹/माह)	अनुभव	शैक्षणिक योग्यता
मुख्यमंत्री सचिवालय	4	4	1,50,000/–	10+वर्ष	प्रबंधन/नीति/विकास/ लोक प्रशासन / क्षेत्रीय नियोजन एवं संबद्ध क्षेत्रों में प्रतिष्ठित संस्थान से स्नातकोत्तर।
उप–मुख्यमंत्री कार्यालय	2	2	1,50,000/–		
मुख्य सचिव कार्यालय	2	2	1,25,000/–	8+ वर्ष	
विकास आयुक्त कार्यालय	2	2	1,25,000/–		
सचिवालय विभाग	1 प्रति विभाग	45	100,000/–	6+वर्ष	उपरोक्त योग्यता अथवा उक्त विभाग से सम्बंधित विषय क्षेत्र में प्रतिष्ठित संस्थान से स्नातकोत्तर।

प्रमंडलीय आयुक्त का कार्यालय	1 प्रति प्रमंडल	9	80,000/–	3+ वर्ष	उपरोक्त योग्यता अथवा उक्त विभाग से सम्बंधित विषय क्षेत्र में प्रतिष्ठित संस्थान से स्नातकोत्तर।
जिला समाहरणालय (डी.एम. कार्यालय)	1 प्रति जिला	38	80,000/–	3+वर्ष	प्रबंधन/नीति/विकास/ लोक प्रशासन / क्षेत्रीय नियोजन एवं संबद्ध क्षेत्रों में प्रतिष्ठित संस्थान से स्नातकोत्तर।
नगर निगम–आयुक्त का कार्यालय	1 प्रति निगम	19	80,000/–	3+वर्ष	क्षेत्रीय नियोजन एवं संबद्ध क्षेत्र में स्नातकोत्तर।

5. उक्त दो वर्षीय फेलोशिप योजना के क्रियान्वयन पर कुल रु0 31,85,88,900/– (इक्तीस करोड़ पचासी लाख अठासी हजार नौ सौ) मात्र का व्यय अनुमानित है। इसमें IIM बोधगया का शुल्क रु0 3,50,98,000/– (तीन करोड़ पचास लाख अनठानवें हजार) एवं प्रशासनिक सहायता निधि की राशि रु0 1,51,70,900/– (एक करोड़ एकावन लाख सत्तर हजार नौ सौ) भी समाहित है।

6. इस योजना का कार्यान्वयन हेतु सामान्य प्रशासन विभाग नोडल विभाग होगा, जो इस योजना के संबंध में समय–समय पर विस्तृत दिशा–निर्देश निर्गत करेगा। इस दो वर्षीय फेलोशिप योजना के सफल क्रियान्वयन हेतु सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा आई0आई0एम0, बोधगया के साथ एकरारनामा (MoU) किया जायेगा। इसकी सफलता/प्रभाव का आकलन कर इस येाजना को आगे जारी रखने हेतु सामान्य प्रशासन विभाग निर्णय ले सकेगा।

7. उपर्युक्त योजना के क्रियान्वयन एवं उपर्युक्त राशि के व्यय हेतु सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा आई0आई0एम0, बोधगया के साथ परामर्शोपरांत योजना की विस्तृत परिचालन मार्ग दर्शिका (Operational Guidelines) को अंतिम रूप दिया जाएगा, जिसमें समय–समय पर आवश्यकतानुसार संशोधन हेतु सामान्य प्रशासन विभाग सक्षम होगा।

8. मुख्यमंत्री फेलोशिप योजना की स्वीकृति मंत्रिपरिषद् की बैठक दिनांक–09.09.2025 को मद सं0–10 के रूप में प्राप्त है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से।

ह0/–

(डॉ0 बी0 राजेन्दर)

सरकार के अपर मुख्य सचिव

संख्या–18/प्र0सु0मि0–04–06/2025 सा0प्र0...../पटना 15 दिनांक–.....

प्रतिलिपि :– प्रभारी पदाधिकारी, गजट प्रकाशन कोषांग, वित्त विभाग, बिहार, पटना को (सी.डी. सहित) राजपत्र के असाधारण अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित।

ह0/–

सरकार के अपर मुख्य सचिव।

संख्या–18/प्र0सु0मि0–04–06/2025 सा0प्र0 17373 **/पटना 15 दिनांक–** 15.9.25

प्रतिलिपि :– सभी विभाग/विभागाध्यक्ष/स्थानिक आयुक्त, बिहार भवन, नई दिल्ली/IIM बोधगया /सभी प्रमंडलीय आयुक्त/सभी जिला पदाधिकारी/संयुक्त सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग, बिहार को मंत्रिपरिषद् की बैठक दिनांक–09.09.2025 के मद संख्या–10 के रूप में स्वीकृत प्रस्ताव के आलोक में/विभागीय आई.टी. मैनेजर को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

15.9.2025

सरकार के अपर मुख्य सचिव।